"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 82] रायपुर, बुधवार, दिनांक 9 मार्च 2016 — फाल्गुन 19, शक 1937

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-24/2009/14-1 (पार्ट). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 18 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"18. परिवीक्षा.- (1) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा.

(2) सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत से परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा."

2. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"6.	सर्वेयर	462	तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)	5200-20200/2800	-"

3. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"5.	सर्वेयर	18	(30 छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हेतु 35 वर्ष)	मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त आई. टी. आई. संस्थान से सर्वेयर प्रमाणपत्र.	-"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2016

क्रमांक एफ 1-24/2009/14-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9-3-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Naya Raipur, the 9th March 2016

NOTIFICATION

No. F 1-24/2009/14-1(part). — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Subordinate Agricultural Class-III (Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2010, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For Rule 18 the following shall be substituted, namely :-
"**18. Probation.**- (1) Every person recruited directly to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

(2) Every person recruited by promotion to the service shall be appointed on probation on offciating capacity for a period of 2 years."

2. For Serial Number 6 in Schedule-I the following shall be substituted, namely :-

"6.	Surveyor	462	Class-III (Non-Ministerial)	5200-20200/2800	-"

3. For Serial Number 5 in Schedule-III the following shall be substituted, namely :-

"5.	Surveyor	18	30 (35 Years for permanent resident of C. G.)	Passed Higher Secondary (10+2) examination from Recognized Board and Surveyor Certificate from Recognized ITI Institution.	-"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SHRIVASTAVA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.